उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

संख्या-06 /2020/190/65-2-2020-15(विविध)/2018

लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2020

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने हेतु निम्नवत् नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1	**नाम**	उत्तर प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को **"नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020"**
2	**प्रारम्भ**	यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
3	**परिभाषा**	जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
	(1)	नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में "दिव्यांगजन को नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020" से है।
	(2)	नियमावली के अन्तर्गत पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
	(3)	अनुदान का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित किये गये दिव्यांगजन को प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर होने वाले व्यय से है।
	(4)	निदेशक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के "निदेशक" से है।
	(5)	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी का तात्पर्य संबंधित "जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी" से है।
	(6)	जिलाधिकारी का तात्पर्य "संबंधित जनपद के जिलाधिकारी" से है।
	(7)	राज्य का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य" से है।
4	**उद्देश्य**	ऐसे दिव्यांगजन जो अपनी दिव्यांगता के कारण समाज की मुख्य धारा से जुड नहीं पाते हैं, को नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका आर्थिक व सामाजिक पुनर्वासन करना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	**अनुदान की दर**	इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वास्तविक मूल्य अथवा रू0 25,000/- जो भी न्यूनतम हो, प्रति दिव्यांगजन अनुमन्य होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की कीमत रू0 25,000/- से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 25,000/- के अतिरिक्त आने वाले व्यय का भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/सांसद निधि/सी0एस0आर0 या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी। इस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को यह धनराशि प्राप्त होने के बाद शासकीय अनुदान की धनराशि फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी और मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की आपूर्ति तद्नुसार सुनिश्चित कराई जायेगी।
6	**पात्रता**	योजना अन्तर्गत नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे:-
	(1)	**<u>दिव्यांगता की स्थिति</u>:-** नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
	(2)	**<u>क्षमता</u>:-** दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है की 'पात्रता' के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थितियों के अतिरिक्त, जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अग्रेतर प्रक्रिया की जाएगी। जनपद स्तर की तकनीकी समिति में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी होंगे। इस समिति का गठन प्रत्येक जनपद में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु तकनीकी समिति के नाम से जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
	(3)	**<u>आयु</u>:-**16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।
	(4)	**<u>आय</u>:-** दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय हेतु तहसील द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत आय-प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(5) **अवधि**:- इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। योजना में लाभान्वित करने समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि दिव्यांगजन जिन्हें लाभान्वित किया जाना है को भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से उसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

7 **अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध** अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-

(1) आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेब-पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र को भर कर आवेदन किया जायेगा।

(2) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष "प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त" के आधार पर सूचबद्ध कर, उपलब्ध बजट के अनुसार लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति के अनुमोदनोपरान्त ही लाभान्वित करने का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु अनुमोदन समिति का गठन किया जायेगा। अनुमोदन समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य-सचिव जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी, उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्मिलित होंगे।

(3) जनपद स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिये लक्षित/निर्धारित संख्या में से -1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये निर्धारित होगी। यह लाभ संस्थागत छात्रों को ही देय होगा, जिसके संबंध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा। यदि विद्यार्थियों से लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो इस वर्ग के लिये निर्धारित संख्या में से अवशेष मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल विद्यार्थियों से इतर अन्य दिव्यांगजन को प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा किन्तु इसके लिये स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुमोदन समिति की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(4) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण से संबंधित पंजिका रखी जायेगी, जिसमें आधार या यूनिक डिस्एबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) के साथ लाभान्वित होने की तिथि सहित लाभार्थी का पूरा विवरण अंकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस योजनान्तर्गत यदि किसी आवेदक के आवेदन-पत्र को निरस्त किया जाता है तो उसे पूरे विवरण सहित कार्यालय द्वारा वर्षवार पंजिका में दर्ज किया जायेगा व निरस्त करने के स्पष्ट कारण सहित आवेदक को भी अवगत कराया जाएगा।

(6) जनपद को प्रश्नगत योजना हेतु आवंटित धनराशि में से प्रशासनिक कार्यों यथा-प्रचार-प्रसार, परीक्षण तथा वितरण शिविर के आयोजन हेतु मण्डल मुख्यालय के जनपदों के लिये वार्षिक रूप में रू0 3.00 लाख एवं अन्य जनपदों के लिये वार्षिक रूप में रू0 2.00 लाख की धनराशि के औसत के आधार पर आगणित करते हुये प्रशासनिक व्यय की समस्त धनराशि को निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशासनिक कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि को निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार जनपद/मण्डल/ मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशासनिक कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि के व्यय में मितव्ययिता संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक:-आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-06 /2020/190(1)/65-2/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

(7) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(8) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

(9) समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(11) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।